रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228338
CG-DL-E-16072021-228338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2653] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2021/आषाढ़ 25, 1943
No. 2653] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2021/ASHADHA 25, 1943

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

का.आ. 2859(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भूमि सुनिश्चित करने के सिवाय परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि के किसी संनिर्माण संकर्म या उसे तैयार करने के पूर्व उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के, यथास्थिति, विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हेतु संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की अपेक्षा को बाध्यकारी बनाया था ;

और कोविड – 19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए तथा औषधि विनिर्माण की अपेक्षा को त्वरित करने हेतु 'उक्त अधिसूचना' का संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1223(अ), तारीख 27 मार्च, 2020 द्वारा किया गया जिसमें यह अधिसूचित किया गया कि 30 सितंबर, 2020 तक प्राप्त एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (एपीआई) की बाबत परियोजनाओं या क्रियाकलापों के सभी प्रस्तावों को श्रेणी 'बी2' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा । तत्पश्चात् ऊपर वर्णित अवधि को अधिसूचना सं. का.आ. 3636(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा छह मास के लिए 30 सितंबर, 2020 से 30 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया ;

और, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर फैलने को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय सरकार को 30 मार्च, 2021 से आगे समय अवधि को और बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि औषधि विनिर्माण को त्वरित करने की निरंतर आवश्यकता है ;

और, केन्द्रीय सरकार, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर फैलने तथा औषधि विनिर्माण को त्वरित करने की निरंतर आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, एक और बारी प्रदान करना आवश्यक समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, स्तंभ (5) में मद 5(च) के सामने, तीसरे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"16 जुलाई, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक प्राप्त एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (एपीआई) की बाबत परियोजनाओं या क्रियाकलापों के सभी प्रस्तावों को श्रेणी 'बी2' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा, परंतु 31 दिसंबर, 2021 के पश्चात् किसी उत्पाद मिश्रण में कोई पश्चात्वर्ती संशोधन या विस्तार या परिवर्तन उस समय प्रवृत्त उपबंधों के अनुसार माना जाएगा ।"

[फा. सं. 22-25/2020-आईए-III)]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2817(अ), तारीख 13 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2021

S.O. 2859(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of its powers by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, (hereinafter referred to as the said notification) making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects or activities listed in the Schedule to the said notification, their expansion and modernisation and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;

And Whereas, in view of the CoVID-19 pandemic and the requirement to expedite drug manufacturing the 'said notification' was amended *vide* notification no. S.O. 1223(E), dated 27th March, 2020 wherein it was notified that all proposals for projects or activities in respect of Active Pharmaceutical Ingredients (API), received up to 30th September, 2020, shall be appraised as Category 'B2' projects. Subsequently, the above mentioned period was extended by six months from 30th September, 2020 to 30th March, 2021 *vide* notification no. S.O. 3636(E) dated 15th October, 2020;

And Whereas, in view of the outbreak of the second wave of COVID-19 pandemic, the Central Government has received requests for further extension of the time period beyond 30th March, 2021 as there is a continued requirement to expedite drug manufacturing;

And Whereas, the Central Government deems it necessary to provide another window in view of the second wave of COVID-19 pandemic and continued requirement of expeditious drug manufacturing;

Now, Therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against item 5(f), in column (5), for the third paragraph the following paragraph shall be substituted, namely:-

"*All proposals for projects or activities in respect of Active Pharmaceutical Ingredients (API), received from 16th July, 2021 to 31st December, 2021, shall be appraised, as Category 'B2' projects, provided that any subsequent amendment or expansion or change in product mix, after the 31st December, 2021, shall be considered as per the provisions in force at that time*."

[F. No. 22-25/2020-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 2817(E), dated the 13th July, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.16 22:20:59 +05'30'